आचार एवं नैतिकता संहिता
उपहार एवं मनोरंजन नीति

ETHICS & LEGAL COMPLIANCE | ISSUED: May 1, 2014 – REVISED: September 21, 2021

व्यापारिक उपहार तथा मनोरंजन की पेशकश करना अथवा स्वीकारना अक्सर व्यापार सहयोगियों के लिए एक-दूसरे के प्रति शिष्टाचार और सम्मान दर्शाने का एक उपयुक्त तरीका होता है, बशर्ते कि उनके मूल्य समुचित सीमा में हों और वे किसी व्यापारिक अथवा सरकारी कार्रवाई को अनुचित ढंग से प्रभावित करने के अभिप्राय से प्रस्तुत न किए गए हों। यह नीति मैग्ना इंटरनेशनल इंक. एवं उसके सभी प्रचालक समूहों, संभागों, संयुक्त उपक्रमों तथा विश्वभर में अन्य प्रचालनों (सामूहिक रूप से "मैग्ना") पर लागू होती है। यह नीति उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो मैग्ना की ओर से कार्य करते हैं, इनमें कर्मचारी, अधिकारी, निदेशक, परामर्शदाता एवं अभिकर्ता (सामूहिक रूप से "मैग्ना के लोग") शामिल हैं।

जहाँ कानून द्वारा प्रतिबन्धित किए गए हों उन स्थितियों को छोड़कर, मैग्ना के लोग व्यापार सहयोगियों को व उनसे उचित व्यापारिक उपहार एवं मनोरंजन की पेशकश व स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते वे उपहार या मनोरंजन साधारण (मामूली) मूल्य के हों और परिस्थितियों के अन्तर्गत उपयुक्त हों। साधारण (मामूली) स्तर के व्यापारिक उपहार एवं मनोरंजन अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध बनाने के वैध साधन हैं। उदाहरण के लिए कभी-कभार भोजन, प्रचार संबंधी वस्तुएं तथा खेलों व अन्य कार्यक्रमों की टिकटें देना या स्वीकार करना कुछ परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है।

उपहारों का आदान-प्रदान या मनोरंजन प्रदान करना सामान्यतः तब हमारी आचार एवं नैतिकता संहिता का उल्लंघन नहीं है जब वे (i) इस नीति समेत स्वीकार्य व्यापार कार्यप्रथाओं के अनुसार दिया गया हो, (ii) किसी निर्णय लेने को प्रभावित करने का इरादा न हो, और (iii) लागू कानून के साथ सुसंगत हो। यदि किसी मैग्ना के लोग के मन में किसी उपहार विशेष की पेशकश करने या स्वीकारने अथवा किसी मनोरंजन विशेष को प्रदान करने के औचित्य या वैधता से सम्बन्धित कोई प्रश्न हो तो उसे समूह या क्षेत्रीय विधि परामर्शदाता या किसी क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी से परामर्श करना चाहिए।

"उपहार एवं मनोरंजन" में समस्त मूल्यवान चीज़ें आती हैं जिसमें शामिल हैं:

- वस्तुएँ
- भोजन तथा पेय पदार्थ
- कार्यक्रमों की टिकटें
- सेवाएँ
- वाहनों अथवा अवकाश सुविधाओं का उपयोग
- यात्रा व्यय

- परिवहन
- छूट
- नकद
- नकद समतुल्य
  (जैसे कि गिफ़्ट कार्ड अथवा गिफ्ट सर्टिफिकेट)
- पुरस्कार
- कृपा

इनकी अनुमति कब नहीं है

यह महत्वपूर्ण है कि उपहार एवं मनोरंजन कभी भी:

- व्यापार या सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने को अनुचित ढंग से प्रभावित न करें;
- अन्यों की दृष्टि में अनुचित प्रभाव डालने वाले न समझे जाएँ; अथवा
- सम्भावित हितों का टकराव उत्पन्न न करें।

अनुचित व्यवहार के आरोपों के विरुद्ध मैग्ना की प्रतिष्ठा की रक्षा करना मैग्ना के लोगों का उत्तरदायित्व है। इसलिए मैग्ना के लोगों को उपहार एवं मनोरंजन की पेशकश करते समय या उन्हें स्वीकार करते समय सावधान रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि व्यापारिक एवं सरकारी निर्णय सत्यनिष्ठापूर्वक लिए गए हैं, लागू कानून के अनुपालक हैं और मैग्ना के सर्वश्रेष्ठ हित में हैं।

इनकी अनुमति कब है

उपहारों तथा मनोरंजन की पेशकश या स्वीकार **केवल** तब किया जाना चाहिए यदि:

- वे उचित हों;
- कभी-कभार/प्रासंगिक हों;
- साधारण (मामूली) मूल्य के हों; और
- व्यय रिपोर्टों तथा मैग्ना की बहियों व अभिलेखों में परिशुद्धता और पारदर्शिता के साथ अभिलेखित किए गए हों।

समय-समय पर, हमें उस देश-विशेष की अतिरिक्त जानकारी वाले निर्देश अपनाने चाहिए कि उस देश में क्या ''साधारण (मामूली)'' और ''उचित'' माना जाता है। ऐसे निर्देशों वाले देशों की सूची के लिए, अनुसूची 'क' देखें।

उत्तम विवेक का उपयोग

क्या स्वीकार्य है यह निश्चित करना विवेक का विषय है। विचार करें कि यदि उपहार या मनोरंजन को सार्वजनिक कर दिया जाए तो क्या उससे मैग्ना या उसके कर्मचारियों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में पेशकश का इरादा और उद्देश्य है, न कि इसका नकद मूल्य, जो अक्सर इसकी उपयुक्तता को निर्धारित करता है। आमतौर पर, उपहार या मनोरंजन का मौद्रिक मूल्य जितना अधिक होगा या उसकी बारम्बारता जितनी अधिक होगी, उतनी ही उच्च स्तर की पारदर्शिता आवश्यक होगी। किसी भी प्रकार के उपहार या मनोरंजन की पेशकश करना या उन्हें स्वीकारना हमेशा कानून तथा स्थानीय व्यापार प्रथाओं की अनुरूपता में ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मैग्ना के अधिकांश ग्राहकों के पास उपहार एवं मनोरंजन के सम्बन्ध में सख्त आंतरिक नियम हैं जो उनके अपने कर्मचारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होती हैं। ग्राहकों

के कर्मचारियों को उपहार या मनोरंजन की पेशकश केवल तब ही करनी चाहिए यदि वह ग्राहक के लागू आन्तरिक नियमों के तहत अनुमत हो।

किसी भी परिस्थिति में ऐसे किसी भी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या अन्य पक्ष से किसी भी प्रकार के उपहार या मनोरंजन का अनुरोध या आग्रह नहीं किया जा सकता है जिनके साथ मैग्ना व्यापार करती है।इसमें उपहार का सीधा अनुरोध और यह इशारा भी शामिल है कि किसी उपहार या मनोरंजन की पेशकश उचित या वांछित होगी।

सरकारी अधिकारी

सरकारी अधिकारियों को उपहारों की कोई भी पेशकश या प्रावधान विशेष जोखिम उत्पन्न करते हैं और ऐसा करना कानूनी तौर पर प्रतिबन्धित हो सकता है। आपको तब तक किसी सरकारी अधिकारी को उपहार या मनोरंजन प्रस्तावित या प्रदान बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब तक कि आपको अनुपालन नियंत्रण प्रक्रिया - सरकारी कर्मचारियों पर व्यय के अनुसार समूह या मैग्ना वरिष्ठ प्रबन्धन (***Disclose It!*** प्रणाली के माध्यम से), से लिखित अनुमोदन प्राप्त न हो गया हो (मैग्ना रिश्वतखोरी व अनुचित भुगतान नीति भी देखें)। (Magna's Policy on Bribery and Improper Payments)

इस नीति के उद्देश्यों और रिश्वतखोरी और अनुचित भुगतान संबंधी नीति के लिए राज्य के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उद्यमों के प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी माना जाता है, जब तक कि मैग्ना और राज्य के स्वामित्व वाली इकाई के बीच संबंध प्रकृतिक रूप में विशुद्ध रूप से व्यावसायिक ना हों।

प्राप्तकर्ता कोई सरकारी अधिकारी या राज्य-स्वामित्व वाली संस्था है या नहीं, यह सत्यापित करना मैग्ना के उस व्यक्ति का दायित्व है जो उपहार या मनोरंजन की पेशकश करता है।

नकद (और समतुल्य नकद, जैसे गिफ्ट कार्ड)

नकद (या समतुल्य नकद, जैसे गिफ्ट कार्ड) की पेशकश करना या स्वीकार करना मना है, सिवाय स्थानीय रीति-रिवाज के जहां ऐसे उपहार देना उपयुक्त हो सकता है (उदा. जापान या दक्षिण कोरिया), और आपने इसकी पूर्व-मंजूरी ली हो। ऐसे अपवाद की मंजूरी के लिए, आपको उस क्षेत्र के कानूनी उपाध्यक्ष से लिखित पूर्व-मंजूरी लेनी चाहिए जहां वह उपहार दिया जाएगा।

उल्लंघन

मैग्ना अनुपालन के उल्लंघनों को सहन नहीं करती है। सभी उल्लंघनों को गम्भीर मामला माना जाएगा एवं उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही रूपी दंड दिया जाएगा जिसमें इस कारण से सेवा-समाप्ति तक की कार्यवाही शामिल होगी।

यदि आप इस बात से अवगत हैं अथवा आपको ऐसा सन्देह है कि कोई व्यक्ति मैग्ना आचार एवं नैतिकता संहिता अथवा इस नीति का उल्लंघन कर रहा है तो आपको (i) अपने प्रबन्धक, (ii) संभाग या समूह वित्त अधिकारी, (iii) समूह या क्षेत्रीय विधि परामर्शदाता, (iv) मैग्ना अनुपालन अधिकारी को अथवा (v) Magna Hotline के माध्यम से रिपोर्ट देकर अपनी चिन्ता से हमें सूचित करना चाहिए।

मैग्ना ऐसी संस्कृति का समर्थन करने को भी प्रतिबद्ध है जहां बदले की कार्रवाई से डरे बगैर संभावित उल्लंघन की चिंताएं प्रकट की जा सकती हैं। इस उद्देश्य से, मैग्ना की प्रतिशोध-रोधी नीति उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध की कार्रवाई को प्रतिबंधित करती है जो ईमानदारी और नेक-नीयत से कोई चिंता प्रकट करता है।

सहयोगी सुझाव

हमेशा…

- सुनिश्चित करें कि उपहार और मनोरंजन उचित हों, प्रासंगिक हों और साधारण (मामूली) मूल्य के हों तथा वे लागू कानूनों, विनियमों और स्थानीय रीतियों के अनुपालन में हों। क्या “उचित” है और क्या नहीं यह निर्णय लेने में उत्तम विवेक का उपयोग करें और साथ में यह ध्यान रखें कि क्या “साधारण” (मामूली) है और क्या नहीं इसका स्थानीय मूल्य आपेक्षिक होता है और औसत स्थानीय जीवन-यापन मानकों एवं रीतियों पर निर्भर करता है।
- यदि आपको ऐसे किसी उपहार या मनोरंजन की पेशकश की गई है अथवा आप ऐसे किसी उपहार या मनोरंजन की पेशकश का इरादा कर रहे हैं जो आपको साधारण मूल्य से अधिक का या फिर अनुपयुक्त महसूस हो रहा हो तो अपने प्रबन्धक, समूह वरिष्ठ प्रबन्धन के किसी सदस्य या अपने समूह या क्षेत्रीय विधि परामर्शदाता या क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी से सलाह मांगें और उनका पूर्व-अनुमोदन लें।
- सुनिश्चित करें कि जहाँ कहीं भी सम्भव हो, उपहार व मनोरंजन किसी संगठन को दिए जाएं न कि किसी व्यक्ति को।
- याद रखें कि सरकारी अधिकारियों को उपहार एवं मनोरंजन दिए जाने पर अधिक ऊंचे मानक एवं अधिक सख्त नियम लागू होते हैं (मैग्ना रिश्वतखोरी एवं अनुचित भुगतान नीति भी देखें)। अनुपालन नियंत्रण प्रक्रिया – सरकारी अधिकारियों पर खर्च के अनुसरण में किसी भी सरकारी अधिकारी को उपहार या मनोरंजन प्रदान करने से पहले ***Disclose It!*** के जरिए अनुमोदन प्राप्त करें।
- किसी भी उपहार या मनोरंजन की पेशकश करने से पहले यह समझने व सत्यापित करने का प्रयास करें कि प्रस्तावित प्राप्तकर्ता है सरकारी अधिकारी हैं या नहीं।
- जहाँ उपहारों या मनोरंजन की पेशकश की जा रही हो या उन्हें स्वीकार किया जा रहा हो वहाँ हितों के टकराव की सम्भाव्यता का मूल्यांकन करें।
- उपहार या सत्कार के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने के लिए तैयार रहें जो मैग्ना आचार एवं नैतिकता संहिता तथा इस नीति के अनुरूप न हो।
- किसी मध्यस्थ या तृतीय पक्ष के माध्यम से दिया गए या प्राप्त उपहारों या मनोरंजन को प्रत्यक्ष तौर पर दिए हुए के समान ही मानें।
- सभी उपहार एवं मनोरंजन अनुमोदनों तथा अस्वीकृतियों का अभिलेख रखें जिसमें उद्देश्य, पक्षों के नाम तथा उपहार या मनोरंजन की प्रकृति व उसका मूल्य नोट करें।
- इस बारे में भी विचार करें कि प्राप्तकर्ता के संगठन की ओर से भी आंतरिक अनुमोदन आवश्यक हो सकता है या नही

ऐसा कभी न करें...

- जहाँ कानून द्वारा प्रतिबन्धित हो वहाँ उपहार या मनोरंजन की पेशकश करना।
- व्यापारिक या सरकारी निर्णय को प्रभावित करने के लिए उपहार या मनोरंजन की पेशकश करना।
- वहाँ उपहार या मनोरंजन स्वीकारना जहाँ ऐसा करने से उचित व निष्पक्ष निर्णय लेना कठिन हो जाता हो, जहाँ वह उपहार या मनोरंजन साधारण (मामूली) मूल्य से अधिक का हो या फिर आमतौर पर स्वीकार्य व्यापारिक कार्यप्रथाओं के विरुद्ध हो।
- निम्नादि प्रतिबन्धित उपहारों या मनोरंजन की पेशकश करना या उन्हें स्वीकारना:
  - नकदी या नकद समकक्ष (जैसे उपहार कार्ड, व्यक्तिगत चैक), ऊपर निर्दिष्ट पूर्व-अनुमोदन को छोड़कर;
  - उत्पादों या सेवाओं पर ऐसी छूट/रियायतें जो सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध न हों;
  - अनुपयुक्त प्रकृति के या अनुपयुक्त स्थल पर दिए गए उपहार या मनोरंजन; अथवा
  - ऐसे उपहार या मनोरंजन जो किसी वैध व्यापारिक उद्देश्य या सम्बन्ध को अग्रसर करने के लिए रचित न हों।
- ऐसे किसी भी आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, साझेदार या अन्य पक्ष से किसी भी ढंग से किसी भी प्रकार के उपहार या मनोरंजन का अनुरोध या आग्रह करना जिसके साथ मैग्ना व्यापार करती है। इसमें प्रत्यक्ष तौर पर अनुरोध करना और यह संकेत देना कि उपहार या मनोरंजन की पेशकश उपयुक्त या वांछित होगी, दोनों ही शामिल हैं।
- मैग्ना की आचार एवं नैतिकता संहिता या इस नीति के अनुपालन से बचने के लिए किसी उपहार या मनोरंजन के लिए व्यक्तिगत तौर पर भुगतान करना।

निम्नांकित से सावधान रहें...

- मैग्ना के प्रतिस्पर्धियों के प्रतिनिधियों के साथ उपहारों या मनोरंजन का आदान-प्रदान करना, क्योंकि ऐसे कृत्य से हितों का वास्तविक या कथित टकराव उत्पन्न हो सकता है अथवा इससे प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का संकेत मिल सकता है।
- अनुबन्ध निविदा प्रक्रिया, मोल-तोल वार्ता या प्रदान किए जाने (जैसे कि आरएफक्यू, आरएफपी) के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन से या को उपहार या मनोरंजन स्वीकारना या पेशकश करना। इसमें मैग्ना के लिए कार्यरत सलाहकारों या परामर्शदाताओं को काम पर होने के दौरान प्रदत्त भोजन शामिल नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए:

अधिक जानकारी अथवा सलाह के लिए, कृपया अपने समूह या क्षेत्रीय विधि परामर्शदाता अथवा किसी क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी अथवा मैग्ना के नैतिकता उपाध्यक्ष व मुख्य अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क करें।

Issued:	May 1, 2014
Revised:	September 21, 2021
Next Review:	Q3 2024
Issued By:	Ethics & Legal Compliance
Approved By:	Magna Compliance Council

अनुसूची ‘क’ - इस नीति के अंतर्गत निर्देशों वाले देश

चीन